



KEDIA™
Pavitra

7 - 12% CURCUMIN

लाकाडोंग हल्दी पाउडर | 250 g MRP ₹ 250



DOUBLE PARROT
SABUT DHANIA SE BANA

धनिया पाउडर | 250 g MRP ₹ 100



50,000+ SHU PUNGENCY (TEEKHAPAN)

मिर्ची पाउडर | 250 g MRP ₹ 150



**FIXED
PRICE**

रिटेलर हो या कस्टमर:
कॉल लगाओ, गाड़ी बुलाओ

1800 120 2727

- शरवती सुपीरियर आटा
- देशी चक्की आटा
- सूजी
- दलिया
- बेसन
- शरवती गेहूँ
- देशी गेहूँ
- प्लैटिनम शरवती चावल

- एलीट बासमती चावल
- पोहा
- लाकाडोंग हल्दी पाउडर
- मिर्च पाउडर
- धनिया पाउडर
- जीरा
- सौंफ
- लौंग

- इलायची
- काली मिर्च
- दालचीनी
- चना दाल
- मूंग दाल (छिलका)
- मूंग दाल
- अरहर/तूर दाल
- उड़द दाल (छिलका)

- उड़द दाल
- मसूर मलका
- मसूर दाल
- काला चना
- काबुली चना
- हरा चना
- हरा मटर
- मोठ

- हरा मूंग
- राजमा चित्रा
- राजमा लाल
- राजमा कश्मीरी
- कैलिफोर्निया बादाम
- काजू
- पिस्ता
- किशमिश

- अखरोट
- मामरा बादाम
- गुड़
- गुड़ पाउडर

**COMING
SOON**

- कच्ची घानी सरसों का तेल
- ट्रिपल फिल्टर्ड मूंगफली तेल
- फ्लेवर्ड मरवाणा
- खजूर

- अंजीर
- मूंगफली
- अजवाइन
- राई

- मेथी दाना
- कसूरी मेथी
- हींग
- अमचूर पाउडर

- ब्लेंडेड मसाले
- संधा नमक
- मिश्री धागा
- मिश्री पाउडर

- सोया चंक्स
- चाय और भी बहुत कुछ

ORDER ON
WEBSITE



ORDER ON
WHATSAPP



ORDER ON
APP



AVAILABLE AT



32000+ RETAILERS



SUPERMARKETS



QUICKCOM/ECOM



WEBSITE



WHATSAPP



APP



TOLL FREE

राहुल ने कई इन्टरव्यू लिए, फिर जाखड़ को चुना एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के लिए

क्या पायलट के बेहद करीबी विनोद जाखड़ को महत्वपूर्ण पद देकर राजस्थान कांग्रेस को कोई मैसेज देना चाहते हैं राहुल

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 फरवरी। राजस्थान से सचिन पायलट खेमे के माने जाने वाले विनोद जाखड़ को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें राहुल गांधी ने कई चरणों के साक्षात्कार के बाद चुना। जाखड़ पहले राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।

जाखड़ ने पूर्व में बयान दिया था कि सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनके चयन का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि वे दलित समुदाय से आते हैं और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय एजेंडे में फिट बैठते हैं।

बताया जाता है कि साक्षात्कार के दौरान गांधी ने उनसे दलितों, ओबीसी और अन्य वर्गों के सामाजिक न्याय तथा उन्हें आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में

- विनोद जाखड़ की नियुक्ति के पीछे एक प्रमुख कारण उनका बेहद सक्रिय दलित नेता होना है। वे राहुल गांधी के सोशल जस्टिस एजेंडा में फिट बैठते हैं।
- एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है, पर, विनोद जाखड़ के लिए इस नियम का दरकिनार कर दिया गया है। विनोद 32 वर्ष के हैं।
- विनोद बहुत ही ऊर्जावान, जुझारू और फायर ब्रांड नेता हैं। वे जैसलमेर से जयपुर तक की बाईक यात्रा कर चुके हैं, जिसमें सचिन पायलट ने भी शिरकत की थी।
- जाखड़ को मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का कट्टर विरोधी माना जाता है और सूत्रों का कहना है कि डोटासरा भी जाखड़ को सख्त नापसंद करते हैं।
- देखना यह है कि यह नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस के समीकरणों में क्या बदलाव लाती है।

उनके विचार पूछे थे।

जाखड़ को एक ऊर्जावान, अत्यन्त सक्रिय तथा आक्रामक स्टाइल के

प्रदर्शनकारी नेता के रूप में भी जाना जाता है। पार्टी नेतृत्व भाजपा के खिलाफ आक्रामक विरोध दर्ज कराने वाले

नेताओं की तलाश में है और सामाजिक न्याय पर उनके विचारों के अलावा, इस दृष्टि से भी उनका चयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बताया जाता है कि एनएसयूआई अध्यक्ष पद के लिए यह उनका तीसरा साक्षात्कार था। इस पद के लिए तेलंगाना की एक महिला उम्मीदवार भी दावेदार थीं, लेकिन वे चयनित नहीं हो सकीं।

बताया जाता है कि सचिन पायलट ने भी उनके नाम की जोरदार सिफारिश की थी, क्योंकि वे पायलट के पक्ष में प्रदर्शन करने में आगे रहेंगे। समझा जाता है कि जाखड़ की खातिर इस पद की आयु-सीमा, 30 वर्ष, का भी ध्यान नहीं रखा गया। जाखड़ इस समय 32 वर्ष के हैं। जाखड़ ने जैसलमेर से जयपुर तक एक बाइक यात्रा भी निकाली थी, जिसमें पायलट ने भाग लिया था।

दिलचस्प बात यह है कि नए एनएसयूआई अध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास

नई दिल्ली, 21 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जेवर में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर युनिट 'इंडिया चिप' का शिलान्यास किया। यह परियोजना एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त

- प्रधानमंत्री ने उत्तर भारत की इस पहली युनिट का शिलान्यास किया तथा कहा कि भारत दुनिया का टैक प्यूवर है।

उद्यम के रूप में स्थापित की जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी के भविष्य के केन्द्र के रूप में देख रही है और भारत सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति ने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए

नई दिल्ली, 21 फरवरी। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय संविधान के अद्यतन तमिल और गुजराती संस्करणों का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) के 8वें संस्करण का भी लोकार्पण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर संविधान

- उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में विधिक शब्दावली का आठवां संस्करण भी जारी किया।

के इन संस्करणों का जारी होना अत्यंत हर्ष का विषय है।

उपराष्ट्रपति ने विधिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) के 8वें संस्करण के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरल और स्पष्ट भाषा में तैयार यह संस्करण विधायकों, विद्यार्थियों, न्यायिक अधिकारियों, शोधार्थियों, अनुवादकों और नीति-निर्माताओं के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-डॉ. सतीश मिश्रा -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 फरवरी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेरिका के वैश्विक टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि "कुछ भी नहीं बदला है", क्योंकि "वे (भारत) टैरिफ देंगे और हम कोई टैरिफ नहीं देंगे"।

इसी बीच, कांग्रेस पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को फिलहाल स्थगित रखने और देशहित में इसकी शर्तों पर पुनः चर्चा करने की सलाह दी।

कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि जब तक अमेरिकी पक्ष से ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तब तक आयात उदारीकरण नहीं किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारतीय किसानों के हित प्रभावित न हों।

भारत पर अमेरिकन टैरिफ 1 8 प्रतिशत से घटकर 1 0 प्रतिशत हुआ

अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर एक समान 10 प्रतिशत टैरिफ लागू किया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 फरवरी। डॉनल्ड ट्रम्प की व्यापक टैरिफ नीति के खिलाफ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लागू होने से भारत पर लागू टैरिफ दर 18 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। यह ट्रम्प की प्रमुख आर्थिक नीति पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नए टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह "लगातार तुरंत प्रभाव से" लागू होगा।

नई शुल्क दर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए लागू होगी। वाइट हाउस के तथ्यों के अनुसार, फार्मा जैसे उन क्षेत्रों को छूट जारी रहेगी, जो अलग जांच के दायरे में हैं, साथ ही "अमेरिका मैक्सिको-कैनडा समझौते" के तहत, अमेरिका में प्रवेश करने वाले सामान पर भी यह लागू नहीं होगा।

- ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
- वाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि भारत जैसे अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स को 10 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, भले ही पूर्व में उन्होंने इससे अधिक टैरिफ देने पर सहमति हो।
- इसी बीच खबर है कि ट्रंप ने सभी देशों पर जो 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, उसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत नए टैरिफ लगाए हैं, जो राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय भुगतान सम्बन्धी समस्याओं से निपटने के लिए अधिभार (सरचार्ज) और विशेष आयात प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है।

धारा 122 के तहत, अमेरिकी राष्ट्रपति अधिकतम 150 दिनों के लिए 15 प्रतिशत तक अस्थायी टैरिफ लगा

सकते हैं, यदि अमेरिका को "बड़े और गंभीर" भुगतान संतुलन घाटे का सामना करना पड़ रहा हो, अर्थात जब आयात, निर्यात से काफी अधिक हो।

वाइट हाउस ने कहा कि भारत जैसे वे देश, जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ आदेश के बाद अमेरिका के साथ समझौते किए थे, उन्हें अब 10 प्रतिशत शुल्क ही देना होगा, भले ही पहले वे अधिक दरों पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा’ अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कहा

- वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "कुछ भी नहीं बदला है, वे (भारत) टैरिफ देंगे और हम कोई टैरिफ नहीं देंगे।
- इधर भारत में कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, भारत-अमेरिका ट्रेड डील में सरकार को मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक अमेरिका से ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, तब तक अमरीकी आयात का उदारीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
- जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि क्या भारत सरकार को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले की जानकारी थी या फिर आशंका थी कि टैरिफ रद्द हो सकते हैं, फिर जल्दबाजी में ट्रेड डील क्यों की गई।

अदालत के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं है।

वाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा, "मेरा भारत के साथ संबंध शानदार है और हम भारत

के साथ व्यापार कर रहे हैं... भारत रूस से तेल ले रहा था। और मेरे अनुरोध पर उसने इसे काफी कम किया, क्योंकि हम उस भयानक युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जिसमें हर महीने 25,000 लोग मर रहे हैं।"

भारत के साथ समझौते पर पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, "कुछ भी नहीं बदलेगा। वे टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे।"

उन्होंने कहा, "यह पहले की स्थिति से उलट है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और मेरा मानना ​​है कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान सज्जन और महान व्यक्ति हैं, लेकिन वे अमेरिका को मुकाबले अधिक चतुर थे, वे हमें नुकसान पहुँचा रहे थे। इसलिए हमने भारत के साथ समझौता किया। अब यह एक निष्पक्ष समझौता है।"

इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में जयराम रमेश ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और इसे नए सिरे से वार्ता के लिए खोलने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या वे ट्रंप के इस बयान से सहमत हैं कि समझौते पर फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एआई इम्पैक्ट का समापन

नई दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के घोषणा पत्र पर दुनिया के 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सहयोगात्मक, विश्वसनीय, लचीले एवं कुशल एआई के लिए एक साझा वैश्विक दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए। इसमें

- 86 देशों सहित यूरोपियन यूनियन व अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।

एआई के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सभी वैश्विक मंच, सिद्धांत और सहयोगात्मक तंत्र को 7 घोषणाएँ हैं। साथ ही सम्मेलन के माध्यम से भारत ने समानता, पहुँच और वैश्विक सहयोग में निहित 'सभी के लिए एआई' के आव्हान का नेतृत्व किया है।

संयुक्त घोषणा पत्र पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अखिलेश ने कांग्रेस को घेरा

लखनऊ, 21 फरवरी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के युवाओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नाराजगी व्यक्त की है।

समाजवादी पार्टी भले ही आईएनडीआईए में कांग्रेस के साथ है, लेकिन वैश्विक मंच पर उनके प्रदर्शन का विरोध किया है। अखिलेश यादव से

- सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा भले ही सरकार झूठ बोलती हो पर वैश्विक मंच पर कांग्रेस को ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था।

पहले शनिवार को ही बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी कांग्रेस की जोरदार निंदा की।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब किसी आभोजन में दुनिया के डेलीगेट्स आए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 फरवरी। संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय इस प्रश्न से जूझ रहा है कि क्या संघीय सरकार डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेशों के तहत चयनित देशों से आयात पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ से वसूली गई राशि वापस करेगी।

संघीय एजेंसियों ने पहले आश्वासन दिया था कि यदि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ को अवैध ठहराता है, तो वसूली गई पाई-पाई उन लोगों को लौटा दी जाएगी, जिन्होंने इसे अदा किया। इसका अर्थ दो-चरणीय वापसी प्रक्रिया हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे

- कहा जा रहा है कि टैरिफ की वापसी दो चरणों में हो सकती है। पहले तो उन कॉरपोरेट संस्थाओं को टैरिफ लौटाया जाएगा, जिन्होंने प्रारंभिक रूप से टैरिफ दिया था फिर उन अंतिम उपभोक्ताओं को जिन्होंने ऊंची कीमतों के रूप में टैरिफ का भार उठाया था।
- टैरिफ वापसी पहली बार नहीं होगी, 1998 में भी ऐसा हो चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टैरिफ अवैध घोषित कर दिए थे, पर, तब यह राशि बहुत अधिक नहीं थी।
- विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ की वापसी में लम्बा समय लग सकता है। हालांकि आज के डिजिटल युग में संभव है कि थोड़ा कम समय लगे।
- इसी बीच भारत में चर्चा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मत है कि सभी देशों पर एक समान टैरिफ लगाना भारत के लिए प्रतिकूल हो सकता है। कई देशों जैसे चीन की कुलना में भारत पर कम टैरिफ था इसलिए भारतीय निर्यात को लाभ मिलता था, जो अब नहीं मिल पाएगा।

पहले 1998 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टैरिफ को अवैध घोषित किया था और

वसूल किये गये टैरिफ की वापसी की गई थी। हालांकि उस समय राशि बहुत

कम थी, 1998 में 73.8 करोड़ डॉलर की वसूली हुई थी, जबकि इस बार

तथाकथित "लिबरेशन डे" टैरिफ के बाद यह राशि लगभग 134 अरब डॉलर

बताई जा रही थी।

टैरिफ की वापसी दो चरणों में करनी होगी, पहले उन कॉरपोरेट संस्थाओं को, जिन्होंने प्रारंभिक रूप से टैरिफ अदा किया, और फिर अंतिम उपभोक्ताओं को, जिन्होंने ऊँची कीमतों के रूप में इसका भुगतान किया। इन सभी घटकों को अलग-अलग करके अनुपात के अनुसार मुआवजा देना होगा।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में वर्षों लग सकते हैं और विभिन्न संस्थाओं को देय सटीक राशि निर्धारित करने के लिए भारी मात्रा में ऑडिटों का विश्लेषण करना पड़ेगा। हालांकि आज के डिजिटल भुगतान और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

